परिपत्र संख्या 51/2018- सीमा शुल्क

एफ.सं. डी-20 /डीआईसी/एईओ/16/2017
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय

नई दिल्ली, 07 दिसंबर, 2018

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क/केन्द्रीय कर,
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक महानिदेशालय
सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क / केंद्रीय कर,
सभीनिदेशालयोंकेप्रधानअपरमहानिदेशक /अपर महानिदेशक।

महोदया/महोदय,

विषय: - एईओ प्रोग्राम डिजिटाइजेशन - ईज ऑफ डूइंग बिजनेस - एईओ-टी1 के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन के विकास के संबंध में।

1. सीमाशुल्ककेदिनांक 10.08.2018 केपरिपत्रसंख्या 26/2018- का संदर्भ लें जिसमें कहा गया था कि " जैसे ही आवश्यक डिजिटल आधारभूत संरचना तैयार होगी एईओ टी 1 एप्लिकेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिजिटलीकरण के लक्ष्य के अनुरूप एईओ-टी1 एप्लिकेशन की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रसंस्करण के लिए डीआईसी के तत्वावधान में एक ऑनलाइन एईओ वेबसाइट विकसित की गई है। यह एईओ वेबसाइट (डोमेन नाम: aeoindia.gov.in) दिनांक 30.11.2018 को अध्यक्ष, सीबीआईसी द्वारा लॉन्च की गई थी और बाद में वेबसाइट दोनों आवेदकों एईओ टी 1 एप्लिकेशन (अनुलग्नक) दाखिल करने के लिए और सीमा शुल्क अधिकारियों को नए दायर आवेदनों के ऑनलाइन डिजिटलीकृत एईओ प्रमाणपत्र के प्रसंस्करण और वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई।

2. एईओ वेब एप्लिकेशन के लिए विभागीय अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शन नोट पहले ही फील्ड कार्यालयों के बीच परिचालित किया जा चुका है। व्यापार और फील्ड कार्यालयों दोनों से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

3. इसके अलावा, ऑनलाइन वेब-एप्लिकेशन के लिए निर्बाध अवस्थान्तर सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 31.03.2019 तक एईओ टी 1 आवेदनों की मैन्युअल फाइलिंग को प्रसंस्करण के साथ-साथ जारी रखने का निर्णय लिया गया है। व्यापार और फील्ड कार्यालयों को क्रमशः निर्धारित अवस्थान्तर समय सीमा तक मैन्युअल रूप से आवेदन दाखिल करने और संसाधित करने की स्वतंत्रता होगी, अर्थात अधिकतम दिनांक 31.03.2019 तक, ताकि आवेदनों के समयबद्ध प्रसंस्करण में किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके। हालांकि, व्यापार और फील्ड कार्यालयों दोनों संरचनाओं को इस ऑनलाइन मोड का यथासंभव उपयोग करने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए।

4. एईओ कार्यक्रम में संशोधन के संबंध में परिपत्र संख्या 03/2018- सीमा शुल्क दिनांक 17.01.2018 के पैरा 3 (viii) का भी संदर्भ लिया जाता है, जिसके तहत टी1 और टी2 के एईओ प्रमाणपत्र की वैधता को समान रूप से 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।

तदनुसार, एईओ टी 1 की समीक्षा और ओएसपीसीए के साथ वैधता को तुल्यकालक करने के लिए प्रमाणित संस्थाओं, उनके अंतराल को भी मौजूदा 2 वर्षों से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है, मास्टर परिपत्र संख्या 33/2016- सीमा शुल्क दिनांक 22.07.2016 के निम्नलिखित पैरा को निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है: -

4.1 पैरा 1.5 (viii) "उन्हें नियमित लेनदेन पीसीए के अधीन नहीं किया जाएगा, इसके बजाय ऑनसाइट पीसीए केवल तीन साल में एक बार आयोजित किया जाएगा।"

4.2 पैरा 5.4.1 "एईओ कार्यक्रम टीम समय-समय पर एईओ स्थिति की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एईओ स्थिति के प्रमाण पत्र के अनुदान की शर्तों और मानकों का निरंतर पालन किया जा रहा है। इस प्रकार यह अनुशंसा की जाती है कि एईओ स्थिति धारक को प्रमाणन की शर्तों के अनुपालन का पुनर्मूल्यांकन करना जारी रखना चाहिए और किसी भी पहचान की गई समस्या जैसे ही वे उत्पन्न होती हैं, उस पर कार्यवाहीकरनी चाहिए। ऐसी समीक्षा की आवृत्ति एईओ-टी1 और एईओ-टी2 के मामले में तीन साल और एईओ-टी3 और एईओ-एलओ के मामले में पांच

साल होगी। जहां तक संभव हो, समीक्षा और ऑनसाइट पीसीए, यदि लागू हो, एक साथ आयोजित किया जाएगा।"

हालांकि, एईओ प्रोग्राम मैनेजर की संतुष्टि के अनुसार, डीआईसी किसी भी समय किसी भी इकाई की समीक्षा शुरू कर सकता है, यदि विश्वास करने के कारण हैं कि एईओ स्थिति की शर्तों और मानकों का पालन या समझौता प्रभावित होता है।

5. व्यापार/सार्वजनिक सूचना जारी करके इस परिपत्र का व्यापक प्रचार किया जाए। इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो इस कार्यालय के ध्यान में aeo-webapp@gov.inके माध्यम से लाई जा सकती है।

भवदीय,

[मनीष कुमार]
संयुक्त आयुक्त(डीआईसी)